राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 180–पीबीआर/15 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–5–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 4–9–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा आवेदक की सहमती से ही आदेश पारित कर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील निरस्त की गई है । जहां तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है आवेदक की ओर से आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जबकि निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत करने का प्रावधान है और निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार संहिता में हुये संशोधन के फलस्वरूप आयुक्त को नहीं रह गया है । अतः आयुक्त द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

बीस रुपये TWENTY RUPEES बीस रुपये TWENTY RUPEES

समक्ष :– माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प भोपाल

निगरानी 180-PBR/15

आवेदक :– महेश कुमार दुबे आ0 जमना प्रसाद दुबे

निवासी समनापुर, तह–बनखेडी, जिला–होशंगाबद म0प्र0

//बनाम//

10/2015
01/1/2015

श्री आशीष गुप्ता अधिवक्ता सोहागपुर द्वारा प्रस्तुत।
01/1/2015
अधीक्षक
नर्मदापुरम् सम्भाग, होशंगाबाद

अनावेदकः– 1. शांतिबाई विधवा समस्वरूप ब्राह्मण

निवासी धौलश्री, पोस्ट नोनिया, तह–बरेली, जिला–रायसेन

2. श्रीमति हल्कीबाई विधवा जमना प्रसाद दुबे "फौत"

निवासी समनापुर, तह–बनखेडी, जिला–होशंगाबद म0प्र0

बारसानः– 1. महेश कुमार दुबे (इस प्रकरण में आवेदक है)

2. श्रीमति रेवतीबाई पत्नि ओंकार सहारिया

3. जीजीबाई पुत्री जमना प्रसाद दुबे

तीनों मूल निवासी समनापुर, तह–बनेखडी, जिला–होशंगाबाद

//राजस्व पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959//

आयुक्त का कार्या– होशंगाबाद से भोपाल केम्प पर जावे
14-1-15

//उत्पन्न//

न्यायालय :– श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदा पुरम संभाग होशंगाबाद
राजस्व प्रकरण क्रमांक – 07अ/2013–14
आदेश दिनांक – 04.09.2014 (जिसके द्वारा अपील समाप्त की गई है)
पक्षकार :– महेश कुमार दुबे बनाम शांतिबाई एवं अन्य
(प्रथम पुनरीक्षण का विवरण)

15-1-15

//राजस्व पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959//

//उत्पन्न//

न्यायालयः–अपर कलेक्टर महोदय होशंगाबाद जिला–होशंगाबाद
राजस्व प्रकरण क्रमांक–15अ/27–2010–11
आदेश दिनांक – 16.01.2013
पक्षकार – महेश कुमार बनाम शांतिबाई